



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 27.04.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 279/26 धारा
191(2)/191(3)/190/131/ 115(2)/109/352/117(2)/351(2)/103(1)
बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को किया
गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक

26.04.2026 को

थाना बड़ौत पर

वादिया द्वारा

लिखित तहरीर दी

कि अभियुक्तों 1.

राजेन्द्र पुत्र

रघुवीर, 2. मोहित,

3. रोहित पुत्रगण

राजेन्द्र, 4. संजय



उर्फ संजीव पुत्र वेदपाल, 5. मुकेश पुत्र मलखान, 6. 01 महिला निवासीगण ग्राम

हिलवाड़ी द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडों व अवैध हथियार/तमंचे के साथ वादिया

व उसके पिता पर हमला करते हुए मारपीट की गयी व गाली-गलौज की तथा जान

से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिससे वादिया के पिता देवेन्द्र के दांत

टूट गए तथा जान से मारने की धमकी दी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के

आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 279/26 धारा

191(2)/191(3)/190/131/115(2)/109/352/117(2)/351(2) बी.एन.एस.

पंजीकृत किया गया ।

नोट:-

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट एवं अवलोकन पीएम रिपोर्ट मृतक देवेन्द्र एवं बयान अभियुक्तों एवं अन्य साक्ष्य संकलन से धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध का होना पाया गया, जिसके आधार पर उक्त अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के 279/26 धारा 191(2)/191(3)/190/131/115(2)/109 /352/117(2)/351(2)/103(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1-राजेन्द्र पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- 01 महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 788 करन सिंह थाना बडौत ।
- 3-है0का0 293 इरशाद अली थाना बडौत ।
- 4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत ।
- 5-म0का0 888 रूबी थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 27.04.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 जिला बंदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा जिलाबंदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबंदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर



पाये जाने पर एक जिलाबंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

अमन उर्फ विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

अभियुक्त अमन उर्फ विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 350/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 356/25 धारा 313/317(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 370/2022 धारा 147/148/149/302/307/504/201/120बी

भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 374/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 128/2026 धारा 3/10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकडा ।

2-है0का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकडा ।

3-है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकडा ।

4-है0का0 847 राकेश कुमार थाना खेकडा ।

5-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा ।

